प्ररूप 14

{ नियम 34घ (5) और नियम 35 (5) देखिए }

वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में / तम्बाकू तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पेकर अथवा नीलामकर्ता अथवा व्योहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण संख्या एक वर्ष के लिए विधिमान्य

-- से -- तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / श्री --को तम्बाकू बोर्ड के पास *तम्बाकू या उसके उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में / तम्बाकू के पेकर / नीलामकर्ता / व्योहारी के रूप में / वर्जीनिया तम्बाकू के विनिर्माता के रूप में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 12 या 11क और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर किया गया है। यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड व्दारा अधिरोपित की जाएं, जारी किया जाता है:

1. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगा;

2. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक ऐसे रजिस्टर रखेगा और तम्बाकू बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो उसके व्दारा यथास्थिति रखे जाने या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित है;

3. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विशिष्टतः उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड व्दारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले, सभी विनियमों, निदेशों, आदेशों, अनुबन्धों, निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा।

स्थान:
तारीख:

(रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

*** उन प्रवर्गों को काट दीजिए जो लागू न हो।**